भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1270
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : कृषि इनपुट
1270. श्री हनुमान बेनीवालः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान के संदर्भ में कृषि इनपुट अनुदान की सीमा को 2 हेक्टेयर से बढ़ाकर 5 हेक्टेयर करने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) राजस्थान के सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत शामिल जिलों के नाम सहित ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या सरकार का सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डीपीएपी) के अंतर्गत आने वाले जिलों में 5 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में शामिल करने का विचार है और यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): कृषि राज्य का विषय है। हालाँकि, भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला को कार्यान्वित कर रही है। इन योजनाओं में ऋण, बीमा, आय सहायता, अवसंरचना, बागवानी सहित फसलें, बीज, मशीनीकरण, विपणन, जैविक और प्राकृतिक खेती, किसान समूह, सिंचाई, विस्तार, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसलों की खरीद, डिजिटल कृषि आदि सहित कृषि का पूरा क्षेत्र शामिल है।

योजनाओं के अतिरिक्त, भारत सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कई पहल की हैं, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के लिए बजट आवंटन में वर्ष 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये से वर्ष 2024-25 में 1,22,528.77 करोड़ रुपये की अभूतपूर्व वृद्धि शामिल है।

(ग) और (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की सूची इस प्रकार है:

I. केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
3. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
5. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
6. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
7. एग्री इंफ्रा फंड (एआईएफ)
8. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन (एफपीओ)
9. स्टार्ट अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
10. नमो ड्रोन दीदी

II. केंद्रीय प्रायोजित योजना

(क) राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)

(ख) कृषोन्नति योजना

1. एकीकृत कृषि विपणन योजना - राष्ट्रीय कृषि बाजार (आईएसएएम-ईएनएएम)
2. एकीकृत कृषि विपणन योजना-अन्य (आईएसएएम-अन्य)
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
4. राष्ट्रीय खाद्य तेल-तिलहन मिशन (एनएमईओ-ओएस)
5. राष्ट्रीय खाद्य तेल-ऑयल पाम मिशन (एनएमईओ-ओपी)
6. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
7. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर)
8. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
9. डिजिटल कृषि

(ग) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-डीपीआर (आरकेवीवाई-डीपीआर)
2. परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
3. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
4. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता
5. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
6. कृषि वानिकी
7. कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम) (फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) जिसका अब एसएमएएम के साथ विलय हो गया है)
8. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा डीपीएपी नामक कोई योजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

****